

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधानाध्यापक-मावि एवं समकक्ष के अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक:- शिविरा / मा / संस्था / बी-1 / 45001 / पीएससी / 2013 दिनांक 13.09.2013 (कुल 77 आदेश) द्वारा कुल 1516 अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश प्रथम चरण में जारी किये गये। तत्पश्चात् आरपीएससी से अभिस्तावना, अनुभव प्रमाण पत्र की जांच, आवेदन पत्रों की जांच एवं इस प्रकार के विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक 13.09.2013 के पश्चात् जारी किये गये। इस प्रकार दिनांक 13.09.2013 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशों से संबंधित अभ्यर्थियों (भंवरी परमार व अन्य 57) द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 6397 / 2019 श्रीमती कृष्णा कुमारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता में स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी. सिविल याचिका संख्या 6397 / 2019 श्रीमती कृष्णा कुमारी बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.04.2019 द्वारा श्रीमती कृष्णा कुमारी का प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन पेश करने और याचिकार्थीगण द्वारा पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उसे पूर्व निर्णीत प्रकरण एस.बी. सिविल याचिका संख्या 7283 / 2014 मनोज खण्डेलवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) के जरिये निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में दायर याचिका संख्या 7283 / 2014 के अन्तर्गत जारी निर्णय दिनांक 16.07.2014 द्वारा मुख्य रूप से यह आदेश दिया गया:-

Having regard to the facts of the case, writ petition is disposed of requiring the petitioners to make a representation to respondent no.2 – Director, Secondary Education, Bikaner, along-with a copy of this order, who shall, after verifying the facts stated above, consider and decide the same by a speaking order within a period of three months from the date of its making, addressing the grievance of the petitioners for extending them the relief as prayed for, as the candidates, who stood lower in merit, are getting benefit of higher pay, seniority, annual grade increments and other service benefits including the selection scales. If the respondent no.2 decides to place the petitioners above in seniority than the candidates who stood lower in merit, then the petitioners would be entitled to all benefits of seniority but they would be entitled only to notional benefits.

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी श्रीमती कृष्णा कुमारी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये जिनमें मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक 13.09.2013 के अनुसार 28.09.2017 से ही स्थायीकरण एवं प्रधानाध्यापक पद पर नियमित वेतन व कनिष्ठ कार्मिक के बराबर परिलाभ की मांग मुख्य रूप से की गई है।

क्र. स.	नाम	जन्म दिनांक	मेरिट न०		वर्तमान पद एवं पदस्थापन स्थान	प्रधानाध्यापक (मा.वि.) पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक	प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण दिनांक
			OLD	NEW			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Krishna Kumari	05-06-1961	2070 A	2070 A	HEADMASTER, GOVT GIRLS SEC. BHATTA BASTI SHIVAGI N, JAIPUR	25-09-2017	28-09-2017

अभ्यर्थी के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में दायर याचिका संख्या 7283 / 2014 के अन्तर्गत जारी निर्णय दिनांक 16.07.2014 एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधानाध्यापक (मावि) एवं समकक्ष अभ्यर्थी के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में अभ्यर्थी के पदस्थापन राजस्थान सेवा नियम-8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान (पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण काल में की गई थी। उपर्युक्त उल्लिखित अभ्यर्थियों में से कनिष्ठ वरीयताधारी कार्मिक रीना परमार वरीयता क्रमांक 2071 (कार्यग्रहण तिथि 31.05.2014 व स्थायीकरण तिथि 01.06.2016) के आधार पर गणना करते हुए उपर्युक्त परिलाभ देय होंगे।

(Signature)

कनिष्ठ वरीयताधारी कार्मिक रीना परमार द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण काल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरान्त दिनांक: 01.06.2016 को नियमित वेतन शृंखला एवं ग्रेड-पे प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय निर्णयानुसार उपर्युक्त उल्लिखित याचिकार्थी के द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण काल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथि (स्थाईकरण) से कनिष्ठ वरीयताधारी कार्मिक रीना परमार द्वारा उक्त तिथि तक प्राप्त वेतनवृद्धि, सलेक्शन स्केल एवं अन्य सेवा परिलाभ की काल्पनिक गणना करते हुए उनके द्वारा वर्तमान में प्राप्त किये जाने वाले वेतन के अनुसार वेतन नियतन किया जाकर वास्तविक लाभ याचिकार्थी श्रीमती कृष्णा कुमारी को देय होगा। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरीयता के अनुसार ही उपर्युक्त याचिकार्थी वरिष्ठता का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सभी सम्बन्धित सूचित हों।



(नथमल डिडेल)


आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/सस्था/बी-III/कोके/या0-6397/कृष्णा कुमारी/19/18 दिनांक:- 30-07-2019
प्रतिलिपि सुचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)।
6. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)।
8. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शि.अ./नियंत्रण अधिकारी।
9. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-विधि, जोधपुर।
10. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
11. सम्बन्धित याचिकार्थी।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर